न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 48/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2011/00129

उनवान

1. बन्टी पुत्र रामभरोसी
2. कम्पूरी वेवा डरूआ(फौत)
3. मुन्नी पुत्री डरूआ पत्नी रामभरोसी
4. मीना पुत्री डरूआ पत्नी कल्लू
5. हरप्यारी पुत्री डरूआ पत्नी विशम्बर

समस्त जाति बघेला निवासी कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रम्मो पत्नी हरविलास
2. केदारी पुत्र राम सिंह
3. फूल सिंह पुत्र पंचम
4. द्वारिका पुत्र लालचन्द
5. मुनईया पुत्र राम सिंह
6. विशम्बर पुत्र नामालूम

समस्त जातिगण बघेला निवासीगण कौलारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सैपऊ।

.....रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त0 अधि0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 27.07.2010 मि.नं. 19/2007 उनवानी रम्मो बनाम बण्टी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ट उपस्थित।

निर्णय दिनांक–17.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहाायक कलक्टर मु0 धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या

01/वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्वत्व घोषणा, बॅटवारा काश्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 698 रकवा 12 विस्वा स्थित ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ में डरूआ पुत्र घमण्डी 1/2 एवं बैकुण्ठी पत्नी स्व0 निनुआ 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। चूंकि उक्त विवादित आराजी आबादी के समीप आ गयी थी अतः डरूआ और बैकुण्ठी ने विवादित आराजी का जुबानी तौर पर बाहमी बॅटवारा कर लिया। विवादित आराजी के मध्य में एक सडक सरकारी निकल चुकी है इस कारण मौके पर उक्त खसरा नम्बर दो भागो में विभाजित हो चुका है। विवादित आराजी का दक्षिण–पश्चिम भाग डरूआ ने अपने हिस्से में एवं उत्तर–पूर्व का भाग बैकुण्ठी ने अपने हिस्से में ले लिया। डरूआ ने अपने दक्षिण–पश्चिम भाग के आधे हिस्से को रैस्पो0 02 लगायत 6 को जुबानी विक्रय कर दिया एवं उनको कब्जा दे दिया एवं रैस्पो0 संख्या 01/वादी ने बैकुण्ठी से उसका 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 02.02.2007 को क्रय कर लिया एवं तभी से रैस्पो0 संख 01/वादी विवादित आराजी पर काबिज हैं। किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट के मन में बेइमानी आ गयी है और वह कहने लगे हैं कि हम कथित बाहमी बॅटवारे को नहीं मानते हैं; अतः जो तुम्हारे हिस्से में जमीन आयी है, उसमें से भी हिस्सा लेगें एवं कब्जा करेंगें। अतः वाद प्रस्तुत कर मुताबिक बाहमी बॅटवारा विवादित आराजी खसरा नम्बर के सडक से उत्तर–पूर्व की ओर के 6 विस्वा रकवे को वादिया/रैस्पो0 संख्या 01 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 11.03.2010 से आंशिक रूप से प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर, तहसीलदार सैपऊ से कुर्रे प्रस्ताव तलब किये एवं मुताबिक कुर्रे प्रस्ताव अपीलाधीन आदेश से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं ना ही उन पर कोई सम्मन का निर्वहन हुआ है अतः अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की दिनांक से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत करते हुए पृथक से दफा 05 मियाद अधीनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में तनकी नम्बर 3 का निर्णय रैस्पो0 के विरूद्ध तय की गई है जिसमे रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 6 ने आराजी मुतनाजा पर मकानात डरूआ व निनुआ के कहने पर बनाये हैं। निनुआ के 1/2 भाग पर रैस्पो0 संख्या 01 आया है तथा डरूआ की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अपीलाण्ट 1/2 भाग पर आये हैं। जब रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 6 ने मकानात, विवादित आराजी पर दोनो के कहने पर निर्माण कराया है उस स्थिति में उनके मकानों की पैमाईश करवा कर शेष रकवा को दोनों पक्षो में बॅटवारा करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 को 1/2 भाग पूरा दे दिया तथा रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 02 लगायत 6 के मकानात की जमीन को डरूआ के हिस्से में मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जबकि तनकी संख्या 03 प्राथमिक डिक्री में रैस्पो0 के विरूद्ध तय हुई थी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि कुर्रे प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं अतः राजस्व मण्डल के नियमों की कोई पालना नहीं की गयी एवं ना ही विवादित भूमि के नजरी नक्शें में तरमीम का प्रस्ताव ही भेजा है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए, प्रकरण मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री कुर्रेजात पुनः तलब करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। जबकि अपीलाण्ट अन्तिम डिक्री के समय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे एवं उनके द्वारा विभाजन प्रस्तावों पर आपत्ति की गयी है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर ही पारित हुआ है। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त उनका यह कथन है कि तहसीलदार ने विवादित भूमि में से पक्षकारों के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव किये गये है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कुर्रे प्रस्तावों पर उभयपक्ष की आपत्तियों का निस्तारण किया जाकर, विधि अनुरूप सही निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2010 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.05.2011 को करीब 9 माह की देरी से धारा 5 मिंयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र (मय शपथ–पत्र) के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपील पेश करने में हुई देरी का कारण सूचना ना होना कहा है परन्तु पत्रावली से इस कथन की पुष्टि नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की उपस्थिति में पारित हुआ है एवं इसमें कुर्रो बाबत् अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति किया जाना अंकित है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट की पूर्ण जानकारी में पारित हुआ है। विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता है। अपील प्रस्तुत करने में 9 माह की अवधि का विलम्ब, एक–एक दिन के विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण के अभाव में, किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः मिंयाद के बिंदु पर अपील खारिज योग्य है।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है, अतः इसकी विवेचना भी हम आवश्यक समझते हैं। अपीलाण्ट ने अपील मीमो के पैरा संख्या 03 में यह आपत्ति उठाई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में तनकी संख्या 03 रैस्पो0/वादिया के विरूद्ध तय की है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0/वादिया को विवादित आराजी का 1/2 भाग यानि 6 विस्वा, रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 06 के मकानात की जमीन को डरूआ के हिस्से में मानकर पूरा दे दिया। हम पाते हैं कि तनकी बाबत् निर्णय प्राथमिक डिक्री में हो चुका है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी निष्कर्षो के आधार पर रैस्पो0/वादिया का दावा आंशिक रूप से दिनांक 11.03.2010 को प्राथमिक डिक्री कर, विवादित आराजी में पक्षकारो के, राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्सो के मुताबिक अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने हेतु तहसीलदार सैपऊ को उभयपक्ष की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया था। अपीलाण्ट की अब प्राथमिक डिक्री में निर्णित हो चुकी तनकी विवेचना को आधार बनाकर, अन्तिम डिक्री की अपील पर आपत्ति उचित नहीं है। रैस्पो0/वादिया जमाबन्दी संवत 2062–65 में विवादित भूमि की 1/2 हिस्से की खातेदार है अतः अन्तिम डिक्री में उसे उचित ही 06 विस्वा भूमि दी गयी है।

7. जहॉ तक अपीलाण्ट का कुर्रे प्रस्तावो पर आपत्ति का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार के पत्र क्रंमाक 16.07.2010 के संलग्न कुरा रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं, जो काउन्टर हस्ताक्षर नहीं हैं। अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह कुर्रो बाबत् आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में उठाते किन्तु उनके द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया है। इसके अलावा कुर्रो बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने, अपने अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया है कि तहसीलदार सैपऊ के पत्र क्रंमाक एस.पी.–1 दिनांक 16.07.2010 से प्राप्त कुर्रो पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। अपीलाण्ट की अब हस्तगत अन्तिम निर्णय की अपील में, मियाद बाहर, कुर्रे एवं तनकी विवेचना बाबत् आपत्ति मान्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2010 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official